न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 138/2020

1. लालाराम पुत्र रामप्रताप उर्फ रामपत जाति खाती निवासी मौजाना त0 भादरा।
:– **वादी**

ब ना म

1 जगदीश पुत्र रामप्रताप उर्फ रामपत जाति खाती निवासी मौजाना त0 भादरा।
2 रामप्रताप उर्फ रामपत पुत्र रावताराम जाति खाती निवासी मौजाना त0 भादरा।
3 तारावती पुत्री रामप्रताप उर्फ रामपत जाति खाती निवासी मौजाना त0 भादरा।
4 रोशनी पुत्री रामप्रताप उर्फ रामपत जाति खाती निवासी मौजाना त0 भादरा।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राममूर्ति ताखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजाना के खाता सं0 25/25 के खसरा सं0 7 की 5.3110है0, खसरा सं0 130 की 5.5130है0 कुल 10.8240है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 2 रामप्रताप उर्फ रामपत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में प्रतिवादी सं 2 रामप्रताप उर्फ रामपत का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 लालाराम व प्रतिवादी सं0 1 जगदीश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:24 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 138/2020

अनवान :

1. लालाराम पुत्र रामप्रताप उर्फ रामपत जाति खाती निवासी मौजाना त0 भादरा।

:— **वादी**

ब ना म

1 जगदीश पुत्र रामप्रताप उर्फ रामपत जाति खाती निवासी मौजाना त0 भादरा।

2 रामप्रताप उर्फ रामपत पुत्र रावताराम जाति खाती निवासी मौजाना त0 भादरा।

3 तारावती पुत्री रामप्रताप उर्फ रामपत जाति खाती निवासी मौजाना.त0 भादरा।

4 रोशनी पुत्री रामप्रताप उर्फ रामपत जाति खाती निवासी मौजाना त0 भादरा।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा **: वादी**
वकील श्री राममूर्ति ताखर**: प्रतिवादीगण**

दिनांक : 18.12.2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजाना के खाता सं0 25/25 के खसरा सं0 7 की 5.3110है0, खसरा सं0 130 की 5.5130है0 कुल 10.8240है0 में प्रतिवादी सं 2 रामप्रताप के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं0 2 रामप्रताप उर्फ रामपत के पिता रावताराम की खातेदारी हुआ करती थी। रावताराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 2 रामप्रताप उर्फ रामपत ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। [illegible] प्रतिवादी सं0 5 स्टेट को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा [illegible] किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक)भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु लालाराम पुत्र रामप्रताप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही डाबडी खाता सं0 25/25 प्रदर्श 1,

Scanned with CamScanner

जमाबंदी पुरानी रोही मोजाना खाता सं0 23/24 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डाबडी प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम डूंगराना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में दो पुत्र जगदीश, लालाराम व दो पुत्री तारावती व रोशनी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजाना के खाता सं0 25/25 के खसरा सं0 7 की 5.3110है0, खसरा सं0 130 की 5.5130है0 कुल 10.8240है0 प्रतिवादी सं 2 रामप्रताप के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार वाद भूमि मे वादी तथा प्रतिवादी सं 1 का बहिस्सा बराबर है। प्रतिवादी सं0 2 रामप्रताप उर्फ रामपत के नाम वाद भूमि के अलावा अन्य भूमि नाम है। रोही मौजा डूंगराना की वाद भूमि में प्रतिवादी सं 2 रामप्रताप उर्फ रामपत का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजाना के खाता सं0 25/25 के खसरा सं0 7 की 5.3110है0, खसरा सं0 130 की 5.5130है0 कुल 10.8240है0 में प्रतिवादी सं 2 रामप्रताप उर्फ रामपत के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में प्रतिवादी सं 2 रामप्रताप उर्फ रामपत का नाम कलमजन कर वादी व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 लालाराम व प्रतिवादी सं0 1 जगदीश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:38:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner